

06⁶/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपास्थित रहे हैं। पत्रावली के अन्वय के अनुसार तीन बार आवार्जेन लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपास्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम्य हाजरी एवं अदम्य पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली